

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **सर्वोच्च न्यायालय** ने **अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय (AMU)** के **अल्पसंख्यक दर्जे** पर फैसला सुनाया। यह मामला AMU के अल्पसंख्यक दर्जे को बहाल करने की मांग करने वाली याचिकाओं से उपजा था, जसि वर्ष 2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने खारजि कर दिया था।

मुख्य बदि

- न्यायालय ने वर्ष 1967 के संविधान पीठ के फैसले को खारजि कर दिया, जसिमें कहा गया था कि AMU को अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता क्योंकि इसकी स्थापना एक कानून द्वारा की गई थी और यह एक केंद्रीय विश्वविद्यालय था।
- **मुख्य टपिणथिऱौं:**
 - न्यायालय ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय द्वारा नरि्मति कोई भी संस्था अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था कहलाती है, चाहे वह कानूनी रूप से कसि भी रूप में गठति हो।
 - ऐसी संस्थाओं का उद्देश्य **समुदाय के सांस्कृतिक ताने-बाने को संरक्षति रखना है।**
 - अल्पसंख्यक दर्जा इस बात पर नरिभर नहीं करता कि संस्था केवल समुदाय के लयि है, बल्कि मुख्य रूप से उसे लाभ पहुँचाती है।
 - न्यायालय ने पाया कि समुदाय द्वारा प्रशासनिक नरिंत्रण खोने से संस्था का अल्पसंख्यक चरतिर समाप्त नहीं हो जाता।
- **अनुच्छेद 30(1) महत्त्व:**
 - **अनुच्छेद 30(1)** अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षणिक और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षति करने के लयि **शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन का अधिकार देता है।**
 - प्रशासन का अधिकार समुदाय के सदस्यों को संस्था का प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं रखता है, बल्कि यह समुदाय-वशिषिट शैक्षणिक लक्ष्यों को बनाए रखने के लयि संस्था की स्वायत्तता सुनश्चिति करता है।
- **AMU मामला:**
 - 1875 में स्थापति AMU को **AMU (संशोधन) अधनियम, 1981 के माध्यम से संसद द्वारा अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था,** लेकिन इस प्रावधान को **2006 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अमान्य कर दिया था।**
- **सरकार का तर्क:**
 - केंद्र ने तर्क दिया कि राष्ट्रीय महत्त्व के संस्थान के रूप में AMU को उसके राष्ट्रीय चरतिर के कारण **अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता।**
 - सरकार ने तर्क दिया कि **AMU कसिी वशिष धरम या समुदाय तक सीमति नहीं है।**
- **वशि्वविद्यालय का रुख:**
 - AMU ने कहा कि इसकी **स्थापना मूलतः मुस्लिम समुदाय द्वारा अपने सदस्यों को शकिषा और सशक्तीकरण प्रदान करने के लयि की गई थी।**